



मस्जिद के अवैध निर्माण और वक्फ संपत्तियों के कथित ब्योरे पर उमरे विवाद का अन्त क्या होगा?

शिमला/शैल। क्या हिमाचल में वक्फ संपत्तियों और कुछ मस्जिदों में हुये अवैध निर्माण पर उठा हिन्दू संगठनों का आक्रोश एक लम्बे राजनीतिक मुद्दे की शकल लेने जा रहा है? क्या इस आक्रोश के लिये अनचाहे ही जमीन तैयार करने का काम हिमाचल सरकार के कुछ मंत्रियों के ब्यानों ने भी किया है? यह सवाल इसलिये प्रसंगिक हो रहे हैं क्योंकि यह रोष हर दिन बढ़ता जा रहा है। प्रदेश के अलग-अलग भागों में इस संबंध में प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि जब से संजौली की मस्जिद में अवैध निर्माण का मुद्दा उठा है और उस पर कांग्रेस तथा भाजपा के नेता आमने-सामने आ गये उसके बाद से यह पूरे प्रदेश में फैल गया है। क्योंकि इसी दौरान प्रदेश के किस जिले में कितनी मस्जिदें बन गयी हैं इसकी एक लम्बी सूची सामने आ गयी। मस्जिदों के बाद वक्फ संपत्तियों की सूची जारी हो गयी। संजौली मस्जिद में हुये अवैध निर्माण का मुद्दा जैसे ही शिमला से बाहर फैला तभी भाजपा ने एक निर्देश जारी करके अपने हर स्तर के नेता को इस मुद्दे पर कुछ भी अधिकारिक रूप से बोलने पर पाबंदी लगा दी। अब हिन्दू संगठन और सरकार आमने-सामने हैं। मस्जिदों और वक्फ संपत्तियों की सूचियों पर सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आयी है।

जब संजौली मस्जिद के अवैध निर्माण पर प्रदर्शन हुआ तो शहरी विकास मंत्री का ब्यान

- कांग्रेस और भाजपा में किसकी सरकार को ज्यादा दोषी माना जायेगा?
- क्या कानूनी प्रक्रिया पर जनरोष भारी पड़ेगा?
- क्या विधानसभा अध्यक्ष द्वारा गठित वैण्डर्स कमेटी का कोई परिणाम निकलेगा?

आया की चार-पांच हजार अवैध निर्माण हैं। विधानसभा में पंचायती राज मंत्री का ब्यान आया की मस्जिद की जगह की मालिक सरकार है। शिमला में बांग्लादेशियों और रोहिंगिया मुस्लिम के आने का खुलासा मंत्री ने किया। स्ट्रीट वैण्डर्स तक बात पहुंच गई और इस संदर्भ में पॉलिसी बनाने की मांग उठी। बाहर से आने वाले लोगों के बारे में आवश्यक जांच पड़ताल किये जाने की बात उठी। विपक्ष ने आरोप लगाया कि उनके शासनकाल में यह जांच पड़ताल होती थी जो अब कांग्रेस सरकार में बन्द कर दी गई है। इसी वाद विवाद में स्ट्रीट वैण्डर्स के लिए पॉलिसी बनाने के लिए एक कमेटी गठित किए जाने का फैसला हुआ। इस कमेटी में विपक्ष के लोगों को भी शामिल करने की बात आयी यदि वह सहमत हो तो। अब विधानसभा अध्यक्ष द्वारा उद्योग मंत्री की अध्यक्षता में एक कमेटी बना दी गयी और उसमें विपक्ष के विधायक भी शामिल हैं। इसी बीच लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने वक्फ

अधिनियम संशोधन किये जाने का भी सुझाव दिया है।

इस राजनीतिक परिदृश्य में यदि इस पूरे प्रकरण पर नजर डाली जाये तो इसमें बहुत सारे ऐसे सवाल सामने आते हैं जो कानूनी दायरे में आते हैं जिन से यह सवाल खड़ा होता है कि क्या देश संविधान के अनुसार चलेगा या इस तरह के जन रोष से। संजौली विवाद कुछ लोगों के आपसी झगड़े से शुरू हुआ इसमें भी झगड़ा दो अलग-अलग जगह पर होने की बात सामने आयी है। पुलिस ने इसमें वांछित कारवाई तुरन्त प्रभाव से की है। कौन सा झगड़ा क्यों इस सारे बवण्डर का कारण बना यह सामने आना अभी बाकी है। मस्जिद की कुछ मंजिलें अवैध बनी हैं और यह निर्माण भाजपा और कांग्रेस दोनों सरकारों में हुआ है। इसके लिये किस सरकार और उसके प्रशासन को कितना जिम्मेदार माना जायेगा और दण्डित किया जायेगा? शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने स्वयं स्वीकारा है कि चार-पांच हजार अवैध निर्माण

हैं। क्या इन अवैध निर्माणों पर भी मस्जिद की तर्ज पर कारवाई की जा सकेगी? फिर प्रदेश के हर जिले में मस्जिदें बन जाने की बात आयी है। क्या यह मस्जिदें गैर मुस्लिम जमीनों पर बनी हैं? क्या इनका निर्माण अवैध रूप से हुआ है? यदि यह गैर मुस्लिम जमीनों पर अवैध रूप से बन गयी है तो क्या संबंध प्रशासन के खिलाफ कोई कारवाई हो पायेगी। इस दौरान प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा दोनों दलों की सरकारें रही हैं। किसी राजनीतिक दल के किस नेतृत्व को कितना जिम्मेदार ठहराया जायेगा और कौन यह कारवाई करेगा? जब तक इन सवालों का कानूनी दायरे के तहत कोई जवाब नहीं आ जाता है तब तक इसमें कोई भी कारवाई कैसे की जा सकेगी?

अब स्ट्रीट वैण्डर्स के लिए पॉलिसी बनाने के लिये विधानसभा अध्यक्ष ने एक कमेटी का गठन कर दिया है। इस कमेटी में भाजपा के भी विधायक शामिल किये गये हैं। इस कमेटी का गठन विधानसभा अध्यक्ष

द्वारा किया गया है। स्वभाविक है कि जब यह कमेटी पॉलिसी तैयार कर लेगी तो इसे विधानसभा अध्यक्ष के सामने रखा जायेगा क्योंकि कमेटी का गठन उनके आदेशों से हुआ है। विधानसभा अध्यक्ष इस कमेटी की पॉलिसी रूपी रिपोर्ट का अपने स्तर पर क्या करेंगे? क्योंकि यदि कोई कानून भी इस संबंध में बनाया जाना है तो उसे भी सरकार ही सदन में लायेगी अध्यक्ष नहीं। ऐसे में यह लगता है कि जन भावनाओं को मोड़ देने के लिये विधानसभा अध्यक्ष द्वारा कमेटी का गठन किया गया है। जबकि विधानसभा अध्यक्ष का कार्य क्षेत्र तो विधानसभा के संचालन तक ही सीमित है। इस संचालन के लिये तो वह कोई भी नियम बना सकते हैं। लेकिन ऐसी कमेटी गठित होने के बाद कमेटी की रिपोर्ट पर सरकार को निर्देशित करने की स्थिति पहली बार आ रही है। समान्यतः ऐसी कमेटीयों का गठन सरकार द्वारा किया जाता है। कमेटी की रिपोर्ट सिफारिशों पर अमल करवाने का तंत्र सरकार के पास होता है विधानसभा अध्यक्ष के पास नहीं है। ऐसे में माना जा रहा है कि विधानसभा अध्यक्ष का रूट लेकर इस मामले को और लम्बा करने का रास्ता चुना गया है। इस पर भाजपा की ओर से भी कोई प्रतिक्रिया न आना पूरे प्रकरण को और भी गंभीर बना देता है। क्योंकि इसमें इतने कानूनी पहलू उलझ गये हैं कि दोनों ही दल इसकी हकीकत का सामना करने को तैयार नहीं हैं।

आयुर्वेद के पुरातन ज्ञान के संरक्षण की जरूरत:राज्यपाल

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने आयुर्वेद के पुरातन ज्ञान के संरक्षण पर बल देते हुए कहा कि 'प्रकृति परीक्षण' की अवधारणा

सांस्कृतिक विरासत है और इसका संरक्षण करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि हमारे समृद्ध मूल्यों और विश्वासों ने देश को 'मा' का दर्जा प्रदान किया है।



पर गहराई के साथ शोध होना चाहिए जोकि शरीर के विभिन्न रोगों का निदान करने पर केन्द्रित है। उन्होंने कहा कि विभिन्न रोगों का उपचार में इस अवधारणा को व्यापक स्तर पर प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। राज्यपाल ने नई दिल्ली में भारतीय धरोहर के आठवें वार्षिक सम्मान समारोह में संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत की समृद्ध

उन्होंने कहा कि विदेशों के बुद्धिजीवियों जैसे मैक्स मूलर ने हमारे वेदों का अध्ययन किया और उनके ज्ञान की प्रशंसा की है। इसलिए हमें न सिर्फ हमारी विरासत पर गर्व करना चाहिए बल्कि युवाओं और बच्चों को इसके बारे में जागरूक भी करना चाहिए। भारत देश संतो की भूमि है जहां लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होती है।

हिमाचल प्रदेश पुलिस का अवैध ड्रग व्यापार के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन 42 टीमों ने की 42 स्थानों पर छापेमारी

शिमला/शैल। अवैध मादक पदार्थों के व्यापार पर निशाना साधते हुये हिमाचल प्रदेश पुलिस ने 15 सितंबर 2024 को कई जिलों में एक समन्वित और व्यापक छापेमारी अभियान चलाया। यह कार्यवाही ND&PS अधिनियम, 1985 के तहत की गई। जिसमें पहली बार राज्य में एक साथ 42 टीमों ने 42 स्थानों पर छापेमारी की। इन टीमों का नेतृत्व पुलिस महानिरीक्षक, उत्तरी क्षेत्र के मार्गदर्शन में जांच अधिकारियों और अन्य सदस्यों ने किया।

इस ऑपरेशन के तहत कांगड़ा, नूरपुर, चंबा, ऊना और बिलासपुर जिलों के विभिन्न प्रमुख स्थानों पर छापेमारी की गई। जिसमें कांगड़ा में 8, नूरपुर में 10, चंबा में 7, ऊना में 6, और बिलासपुर में 11 स्थान शामिल थे। इस कारवाई का मुख्य उद्देश्य मादक पदार्थों की जल्दी और बड़े तस्करी तंत्र को खत्म करने के लिए महत्वपूर्ण सबूत जुटाना, प्रमुख संचालकों की पहचान करना और उनकी संपत्तियों का पता लगाना था।

इस ऑपरेशन में ND&PS अधिनियम के तहत 4 मामले दर्ज

किए गए। कुल 5 किलोग्राम पोपी हस्क और 25 ग्राम चिट्टा (हेरोइन) जब्त किया गया। मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल तीन वाहन जब्त किये गये। जिनमें दो वाहन चार पहिया (XUV 300 और Alto) और एक वाहन दो पहिया शामिल हैं। आबकारी अधिनियम के तहत 4 अन्य मामले दर्ज किए गये जिनमें 57 लीटर अवैध शराब जब्त की गई। एक सदिग्ध का घर सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे में पाया गया, जिसके बारे में आगे की कारवाई के लिए स्थानीय प्रशासन को सूचना भेज दी गई है। इन मामलों के संबंध में आठ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।

विशेष टीम तलाशी के दौरान जब्त किये गये डिजिटल उपकरणों और अन्य सामग्रियों की जांच कर रही है, ताकि इस अवैध कारोबार के अगामी एवं प्रतिगामी संबंधों का पता लगाया जा सके और प्रमुख अपराधियों की संपत्तियों का पता लगाया जा सके। मोबाइल फॉरेंसिक जांच के परिणामों को भी गहराई से देखा जायेगा।

कांग्रेस का भाजपा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन

शिमला/शैल। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस के आह्वान पर प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष जैनब चंदेल के नेतृत्व में महिला कांग्रेस ने भाजपा के



खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। महिला कांग्रेस ने भाजपा के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा नेताओं की ब्यानबाजी की कड़ी आलोचना की। उन्होंने इन नेताओं को गिरफ्तार करने की मांग

भी की। जैनब चंदेल ने इस दौरान कहा कि भाजपा देश में लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल

गांधी के खिलाफ हिंसक ब्यानबाजी भाजपा के चरित्र को प्रदर्शित करती है। उन्होंने भाजपा नेताओं की आलोचना करते हुए कहा कि कांग्रेस भाजपा के किसी भी षडयंत्र को कभी सफल नहीं होने देगी।

उन्होंने प्राचीन ज्ञान के संरक्षण और समाज सेवा के लिए भारतीय धरोहर की समर्पित सेवाओं की तारीफ की। राज्यपाल ने भारतीय धरोहर की वार्षिक पत्रिका का विमोचन भी किया।

उन्होंने रंजीत कौर को उनके दिवंगत पति के अहम योगदान के लिए स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। उन्होंने इस अवसर पर प्रख्यात लेखक और निर्देशक चंद्र प्रकाश द्विवेदी, शिक्षा, संस्कृति संरक्षण, जनजातीय और ग्रामीण क्षेत्रों में अहम भूमिका निभाने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता लक्ष्मी नारायण गोयल, पूर्व संरक्षकों, भारतीय धरोहर के सदस्यों को भी सम्मानित किया, जिन्होंने संगठन के लिए उल्लेखनीय योगदान दिया।

समारोह की अध्यक्षता कर रही राज्यसभा सांसद संगीता यादव ने भी इस अवसर पर अपने विचार प्रस्तुत किए। भारतीय धरोहर के महामंत्री विजय शंकर तिवारी ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया और संगठन की गतिविधियों के बारे में विस्तार से अवगत करवाया।

इस अवसर पर भारतीय धरोहर के अध्यक्ष रमेश कपूर और सदस्यों ने समारोह में भाग लिया।

ड्रग तस्करी और आदतन अपराधियों के खिलाफ सख्त कारवाई के तहत, प्रिवेंटिव डिटेन्शन के लिए PITND-PS अधिनियम के तहत पिछले 10 दिनों में पुलिस मुख्यालय में 8 नये प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं इन प्रस्तावों को इस सप्ताह राज्य सरकार को भेजा जायेगा ताकि पुनरावृत्त अपराधियों के खिलाफ डिटेन्शन ऑर्डर प्राप्त किए जा सकें।

हिमाचल प्रदेश में पहली बार, लगभग 40 व्यक्तियों को या तो नशेड़ी हैं या छोटे पैमाने के ND&PS अधिनियम मामलों में आरोपी हैं को धारा 64A के तहत नशामुक्ति और पुनर्वास उपचार के लिए प्रेरित किया गया। जिससे उन्हें अभियोजन से छूट प्राप्त हो सके। इस पहल का उद्देश्य पीड़ितों (नशेड़ियों) को बड़े पैमाने के अपराधियों से अलग करना है। ताकि उन्हें पुनर्वास, इलाज और समाज में पुनः एकीकरण का मौका मिले। इन व्यक्तियों की नियमित रूप से निगरानी की जाएगी और उन्हें उपचार पूरा करने के लिए प्रेरित किया जायेगा। ताकि अन्य नशेड़ियों को भी उपचार के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

यह ऑपरेशन हिमाचल प्रदेश पुलिस की अवैध मादक पदार्थ व्यापार को समाप्त करने और जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अडिग दृढ़ता को दर्शाता है। पुलिस सतर्क रहेगी और मादक पदार्थों से जुड़े अपराधियों के खिलाफ कठोर और त्वरित कार्यवाही करना जारी रखेगी।

हिमाचल प्रदेश पुलिस जनता से अपील करती है कि वे सतर्क रहें और मादक पदार्थों से जुड़ी किसी भी सदिग्ध गतिविधि की सूचना पुलिस को तुरंत दें। सामूहिक प्रयास और दृढ़ संकल्प से, हम एक नशामुक्त हिमाचल प्रदेश की दिशा में काम कर सकते हैं।

शैल समाचार

संपादक मण्डल

संपादक - बलदेव शर्मा

संयुक्त संपादक: जे.पी.भारद्वाज

विधि सलाहकार: ऋचा शर्मा

कृषि मशीनरी की खरीद के लिए एग्री मशीनरी पोर्टल आरम्भ

शिमला/शैल। कृषि निदेशक कुमुद सिंह ने बताया कि कृषि अभियान्त्रिकी के अन्तर्गत सरकार द्वारा पहाड़ी खेती के मशीनीकरण के लिए प्रदेश के किसानों में नये विकसित उपकरण तथा आधुनिक मशीनरी को प्रचलित किया जा रहा है। विभाग द्वारा किसानों को बड़े स्तर पर ट्रैक्टर, पावर टिलर व पावर वीडर इत्यादि उपदान पर उपलब्ध करवाये जा रहे हैं। कृषि विभाग हिमाचल कृषि अभियांत्रिकी उप मिशन के अंतर्गत किसानों को जो भी कृषि उपकरण अनुदान पर मिलते हैं, इसके लिए किसान विभाग के डी बी टी पोर्टल <http://agrimachinery.nic.in> के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। किसान ट्रैक्टर, पावर वीडर या कल्टीवेटर की खरीद के लिए किसान पोर्टल के माध्यम से अनुदान हेतु आवेदन कर सकते हैं। पोर्टल पूर्ण पारदर्शी तरीके से तथा पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत पर काम करता है। यह पोर्टल 19 सितम्बर, 2024 से दोपहर 12 बजे से इस वर्ष के लिए सक्रिय हो जायेगा तथा हर ज़रूरतमंद किसान इसके माध्यम से आवेदन कर सकता है। कृषि यंत्र लघु, सीमांत, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला किसानों को 50 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध

होते हैं। उन्होंने किसानों से आग्रह करते हुए कहा कि केवल भारत सरकार से पंजीकृत फर्म/स्वीकृत मॉडल ही खरीदें ताकि बाद में उन्हें किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। कृषि निदेशक ने कहा कि मशीनें आधुनिक कृषि का एक महत्वपूर्ण अंग हैं। बहुफसली सघन खेती की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि सभी कृषि कार्यों को समय पर तथा कुशलता से निपटाया जाये। इस कार्य को कुशल तथा आसानी से चलाई जा सकने वाली मशीनों तथा उपकरणों से ही किया जा सकता है। मशीनों तथा उपकरणों से कृषि कार्यों को करने में आसानी होती है और कार्य शीघ्रता से निपटाया जाता है तथा कार्य के लिये किया जा रहा अनावश्यक श्रम भी कम होता है। उन्होंने कहा कि मशीनों से किसानों की कार्य क्षमता तथा आमदनी बढ़ती है। खेती की लागत कम होती है तथा उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ती है। कृषि विभाग द्वारा निरन्तर प्रयत्न किया जा रहा है कि किसानों को नई आधुनिक मशीनें तथा उपकरण उपलब्ध करवाये जाएं। प्रदेश की भौगोलिक स्थिति तथा खेतों के छोटे आकार के कारण अधिक भारी मशीनरी का प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

कृषि विज्ञान सोलन ने जीता हिमाचल प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ केवीके का पुरस्कार

शिमला/शैल। डॉ. यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी के कंडाघाट स्थित कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) सोलन को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा हिमाचल प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ केवीके के पुरस्कार से नवाजा गया है। यह पुरस्कार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद - कृषि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान (आईसीएआर - अटारी), जोन - 1, लुधियाना द्वारा आयोजित वार्षिक क्षेत्रीय कार्यशाला 2024 के दौरान प्रदान किया गया। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में 13 केवीके हैं।

गुरु अंगद देव पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में पिछले सप्ताह आयोजित कार्यशाला में जोन - 1

उधम सिंह गौतम और अटारी जोन 1 के निदेशक डॉ. परवेन्दर श्योराण भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे।

शिमला मिर्च, मटर आधारित और प्लम आधारित प्राकृतिक मॉडल विकसित करने के साथ-साथ केवीके के माध्यम से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की परियोजना में केवीके सोलन द्वारा किए गए कार्यों को इस पुरस्कार के पहचाना गया। इसके अलावा आर्या प्रोजेक्ट के तहत किए कार्यों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों की भी सराहना की गई है। भविष्य को देखते हुए, केवीके सोलन का लक्ष्य टिकाऊ कृषि पद्धतियों को सुनिश्चित करने के लिए नवीनतम फसल प्रौद्योगिकियों का प्रसार जारी रखते हुए किसान चुनौतियों की सक्रिय रूप से पहचान और उनका समाधान करना है।



में आने वाले कृषि विज्ञान केंद्रों की उपलब्धियों पर कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में भारत सरकार के कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के अंतर्गत कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. संजय कुमार मुख्य अतिथि रहे। डॉ. कुमार ने केवीके सोलन को हिमाचल प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ कृषि विज्ञान केंद्र का पुरस्कार प्रदान किया। यह पुरस्कार विश्वविद्यालय के विस्तार शिक्षा निदेशक डॉ. इंद्र देव और केवीके सोलन के प्रधान वैज्ञानिक और प्रमुख डॉ. अमित विक्रम ने प्राप्त किया। आईसीएआर के उप महानिदेशक (कृषि विस्तार) डॉ.

इस अवसर पर नौणी विवि के कुलपति प्रोफेसर राजेश्वर सिंह चंदेल ने केवीके सोलन के सभी स्टाफ को उनकी उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए बधाई दी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह सम्मान कृषक समुदाय के कल्याण को बढ़ाने के लिए केवीके की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रोफेसर चंदेल ने आशा व्यक्त की आने वाले समय में अत्याधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी के प्रसार में केवीके और अधिक प्रयास करेगा। डॉ. इंद्र देव और डॉ. परवेन्दर श्योराण ने इस उपलब्धि के लिए केवीके स्टाफ को बधाई दी।

वन विभाग में सहायक वन रक्षकों के 100 रिक्त पदों को भरने का निर्णय

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 780 मेगावाट की जंगी थोपन जल विद्युत परियोजना को हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को सौंपने को स्वीकृति प्रदान की गई।

बैठक में 1610 मेगावाट की रेणुकाजी और 270 मेगावाट की थाना प्लान पंप स्टोरेज जल विद्युत परियोजनाओं को हिमाचल प्रदेश पावर

एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी और आयुष मंत्री यादवेंद्र गोमा इस उप-समिति के सदस्य होंगे।

मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग को पोस्ट कोड 903 और 939 के परिणाम घोषित करने के लिए अधिकृत किया है। जांच एवं अदालती कार्यवाही के अंतिम परिणाम के दृष्टिगत पोस्ट कोड 903 के पांच पद और पोस्ट कोड 939 के तहत छह पद

और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। इसके अतिरिक्त, शिक्षकों की कार्यशैली में अधिक गुणवत्ता लाने के लिए 12 जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों (जइएट) के सुदृढीकरण का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमंडल ने मेधावी छात्रों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से डॉ. यशवंत सिंह परमार ऋण योजना को विस्तार प्रदान करने का निर्णय लिया गया। इसके अंतर्गत विदेशों के शैक्षणिक संस्थानों में पेशेवर और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की शिक्षा ग्रहण करने वाले इच्छुक पात्र मेधावी छात्रों को इस योजना का लाभ देने का भी निर्णय लिया गया। इस योजना के तहत, राज्य सरकार एक प्रतिशत की ब्याज दर पर शैक्षिक ऋण प्रदान करती है।

मंत्रिमंडल ने लोगों को आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए जिला कांगड़ा के नागरिक अस्पताल देहरा और सिरमौर जिले के नागरिक अस्पताल पांवटा साहिब में 50-50 बिस्तरों वाले क्रिटिकल केयर ब्लॉक स्थापित करने को मंजूरी प्रदान की। देहरा में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के अधीक्षण अभियंता और खंड चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय स्थापित करने को भी मंजूरी प्रदान की गई।

वन विभाग में सहायक वन रक्षकों के 100 रिक्त पदों को भरने का निर्णय

लिया गया है। मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 33 पदों को भरने को मंजूरी प्रदान की गई।

बैठक में जिला लाहौल-स्पीति के सिस्सु में नया पुलिस थाना खोलने तथा इसके संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 18 पदों को सृजित कर भरने तथा जिला चम्बा के हथली में नई पुलिस चौकी के लिए विभिन्न श्रेणियों के छः पदों को सृजित कर भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमंडल ने गृह विभाग में दो पुलिस उप-अधीक्षक, जिला कारागार मण्डी में औषध वितरक का एक पद, सहायक निदेशक (जीव विज्ञान और सीरम विज्ञान) का एक पद तथा प्रयोगशाला सहायक (रसायन व विष

विज्ञान) के तीन पद भरने का निर्णय लिया।

इसके अलावा, हिमाचल प्रदेश महाविद्यालय कार्यालय के लिए विभिन्न श्रेणियों के 10 पदों को भरने का भी निर्णय लिया गया।

बैठक में जिला शिमला के शोधी और जिला सोलन के कसौली, जाबली, बरोटीवाला, नालागढ़ और बड़ी में ईएसआई चिकित्सा संस्थानों के लिए छः चिकित्सा अधिकारियों (डेंटल) के पदों को सृजित कर भरने की स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमंडल ने फॉरेसिक सेवा विभाग को परिचालन क्षमता बढ़ाने के लिए छः मोबाइल फॉरेसिक वैन प्रदान करने को स्वीकृति प्रदान की।

मुख्यमंत्री ने तीन स्टार्ट-अप प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला के 18 वर्षीय शायान अब्दुल जिशान द्वारा विकसित तीन स्टार्ट-अप प्रोजेक्ट शयाता, सफीरा और फयान का शुभारंभ किया।

शयाता स्टार्ट-अप के माध्यम से सिलाई, हेयर सैलून सुविधा और ब्राडेड कपड़ों की खरीद के लिए घरदार से वाएं उपलब्ध होंगी। सफीरा स्टार्ट-अप से शिमला शहर की परिधि में 30 मिनट के भीतर किराने का सामान और अन्य खाद्य सामग्री की होम डिलीवरी तथा फयान को ई-भुगतान सुविधा के माध्यम से पानी, बिजली आदि के बिलों का भुगतान करने की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए तैयार किया गया है।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शायान अब्दुल के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि यह गर्व की बात है कि प्रदेश के युवा अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए आगे आ रहे हैं, जिससे दूसरों के लिए रोजगार के अवसर सृजित हो रहे हैं।

उन्होंने राज्य के युवाओं से आत्मनिर्भर बनने के साथ-साथ ऐसे उद्यमों का अनुकरण करने का आग्रह किया, जिससे दूसरे युवाओं के लिए भी रोजगार के अवसर सृजित हो सकें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने युवाओं को स्वरोजगार के प्रति प्रोत्साहित करने और अपना व्यवसाय आरम्भ करने के लिए 'राजीव गांधी स्टार्ट-अप योजना' के अंतर्गत 680 करोड़ रुपये का कोष स्थापित किया है।



कॉर्पोरेशन लिमिटेड को आवंटित करने का भी निर्णय लिया गया।

मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शाहिल की अध्यक्षता में रोगी कल्याण समितियों के सुदृढीकरण के लिए सिफारिशें प्रदान करने संबंधी मंत्रिमंडलीय उप-समिति के गठन को स्वीकृति प्रदान की। ग्रामीण विकास

रिक्त रखे गए हैं।

बैठक में सोलन में राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) को राज्य स्तर पर स्कूल और शिक्षक प्रशिक्षण के लिए शीर्ष संस्थान के रूप में स्तरोन्नत करने को भी मंजूरी दी गई। इसका उद्देश्य शैक्षणिक अनुसंधान को बढ़ावा देना

मुख्यमंत्री ने क्षय रोग पर राष्ट्रीय टास्क फोर्स की बैठक का शुभारम्भ किया

हिमाचल में स्वास्थ्य पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है: मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय टास्क फोर्स की दो दिवसीय बैठक का

मरीजों की सुविधा के लिए पिछले दो वर्षों में प्रारम्भिक स्तर पर ही टीबी का पता लगाने के लिए राज्य में मॉलीक्यूलर परीक्षण सुविधाएं शुरू की गई हैं और

विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 2,700 पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि 70 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों को विशेष स्वास्थ्य देखभाल की आवश्यकता रहती है। इसके दृष्टिगत प्रदेश सरकार वृद्धजनों के लिए घर-द्वार के निकट चिकित्सा जांच सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए नई योजना शुरू करने पर विचार कर रही है। राज्य में कैंसर के मरीजों की बढ़ती संख्या पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हिमाचल प्रदेश को 31 मार्च, 2026 तक हरित ऊर्जा राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों के संचालन और नवीकरणीय ऊर्जा विकल्पों को बढ़ावा दिया जा रहा है और जिला सोलन के नालागढ़ में एक मेगावाट के हरित हाइड्रोजन संयंत्र की स्थापना की जा रही है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शाहिल ने कहा कि राष्ट्रीय टास्क फोर्स के प्रयासों के फलस्वरूप टीबी के बारे में सामाजिक दृष्टिकोण में काफी बदलाव आया है। उन्होंने जन जागरूकता की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि राज्य में इस बीमारी को समूल मिटाने के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में टीबी रोगियों को सरकार से 1,500 रुपये की वित्तीय सहायता मिलती है और लोगों को विशेष रूप से दुर्गम क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस अवसर पर स्वास्थ्य सचिव एम. सुधा देवी, एनएचएम मिशन निदेशक प्रियंका वर्मा, स्वास्थ्य सेवाएं निदेशक डॉ. गोपाल बैरी, राष्ट्रीय टास्क फोर्स के अध्यक्ष डॉ. अशोक भारद्वाज, केंद्रीय टीबी प्रभाग के संयुक्त निदेशक डॉ. संजय कुमार मट्टू और डीडीजी-टीबी डॉ. उर्वशी सिंह और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।



शुभारम्भ किया। इस बैठक में देशभर के क्षय रोग विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। हिमाचल प्रदेश दूसरी बार इस महत्त्वपूर्ण बैठक की मेजबानी कर रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 'मेरी टीबी की कहानी चरण-2' पहल का शुभारंभ किया। इस पहल का उद्देश्य टीबी से जुड़ी भ्रातियों को दूर करना और इस बीमारी के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करना है। इस अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ करने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है।

हिमाचल प्रदेश में क्षय रोग विशेषज्ञों का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि बैठक के दौरान मूल्यवान जानकारी और सुझाव प्राप्त होंगे, जो इस खतरनाक बीमारी से निपटने में सहायक सिद्ध होंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार टीबी उन्मूलन के लिए हर संभव सहायता प्रदान कर रही है और राज्य में हर वर्ष लगभग 15,000 टीबी मरीजों का उपचार किया जा रहा है। इस बीमारी से निपटने में किए गए प्रदेश के प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहा गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि टीबी के

पांच जिलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस पोर्टेबल एक्स-रे मशीनें उपलब्ध करवाई गई हैं। शीघ्र ही इस सेवा का विस्तार शेष जिलों में भी किया जाएगा। इस बीमारी से ग्रसित मरीजों के लिए हिमाचल प्रदेश की अनुकूल जलवायु के महत्व के बारे में बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार हिमाचल के शुद्ध वातावरण को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में स्वास्थ्य पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री ने बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए आधुनिक तकनीकें अपनाने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि राज्य सरकार ने नवीनतम चिकित्सा उपकरणों के लिए एम्स दिल्ली के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है। टांडा चिकित्सा महाविद्यालय और आईजीएमसी, शिमला में स्वास्थ्य सुविधाओं का सुदृढीकरण किया जा रहा है तथा डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ की कार्यप्रणाली में सुगमता लाने के लिए अस्पताल में अनुकूल वातावरण बनाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए स्वास्थ्य

विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए नवाचार की जरूरत: रोहित ठाकुर

शिमला/शैल। राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश अध्यक्ष जगदीश शर्मा के नेतृत्व में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से भेंट की। प्रतिनिधिमंडल ने विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पद भरने, प्री-प्राइमरी की एनटीटी भर्ती, पदोन्नति और वेतन विसंगतियां दूर करने, स्थगित की गई खेल प्रतियोगिताओं को शुरू करने, महंगाई भत्ता और एरियर का भुगतान, खंड शिक्षा अधिकारी का पद राजपत्रित

तथा राष्ट्रीय चिंतन की भावना आती है। मौजूदा दौर में शिक्षकों को परिवर्तन के साथ नयापन लाना होगा। प्रदेश में शिक्षक बेहतरीन कार्य कर रहे हैं और पूरी तरह प्रशिक्षित भी हैं।

सरकारी विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या में निरंतर कमी आ रही और सरकार को शून्य नामांकन अथवा पांच से कम नामांकन वाले स्कूलों को बन्द करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकारी विद्यालयों में गत वर्ष की तुलना



करने सहित विभिन्न मांगों से अवगत करवाया। शिक्षा मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल की सभी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना और सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया।

शिक्षा मंत्री ने विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए नवाचार और नवोन्मेष की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षकों से विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण, अनुशासन, तार्किक शक्ति का विकास

में 51 हजार विद्यार्थियों की संख्या कम हुई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने अकादमिक सत्र में तबादलों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो।

शिक्षा सचिव राकेश कंवर, संयुक्त शिक्षा सचिव सुनील वर्मा, प्रारंभिक शिक्षा निदेशक आशीष कोहली, प्रारंभिक शिक्षा अतिरिक्त निदेशक, बी. आर. शर्मा और प्रतिनिधिमंडल के अन्य पदाधिकारी इस दौरान उपस्थित रहे।

जब तक जीना, तब तक सीखना, अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है।

..... स्वामी विवेकानंद

सम्पादकीय

राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा पर क्यों उठी यह प्रतिक्रियाएं



संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा को लेकर जिस तरह की प्रतिक्रियाएं सत्तारूढ़ भाजपा के नेताओं की सामने आयी हैं उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि भाजपा नेतृत्व गांधी को अपने लिये चुनौती मान रहा है। क्योंकि यह प्रतिक्रियाएं भाजपा के केंद्रीय मंत्री सांसद और विधायक स्तर के लोगों से आयी हैं। इन हिंसात्मक प्रतिक्रियाओं का कड़ा संज्ञान लेने के लिये जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर अपनी चिन्ता जताई तो उसके जवाब में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा ने खड़गे को तीन एक तीन पृष्ठों का पत्र भेज दिया। नड्डा ने अपने पत्र में कांग्रेस को उन सारे ब्यानों और प्रतिक्रियाओं का स्मरण करवा दिया जो अब तक कांग्रेस के शीर्ष नेता से लेकर कार्यकर्ताओं तक के ब्यान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को लेकर रहे हैं। नड्डा ने अपने तीन पृष्ठों के जवाब में जो भी रिकॉर्ड पर सामने रखा है उसमें ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है जो सीधे हिंसा को आमंत्रित करता हो। बल्कि नड्डा के इस जवाब के बाद भाजपा के लोगों ने छत्तीसगढ़ में राहुल के खिलाफ मामला दर्ज करने की तीन शिकायतें भेजी है। शिमला में भी इस आशय की एक शिकायत आयी है। कांग्रेस ने कर्नाटक में भाजपा के केंद्रीय मंत्री के खिलाफ एक मामला दर्ज किया है। शिमला में मुख्यमंत्री ने इस प्रकरण पर एक सामान्य प्रतिक्रिया जारी की है। शिमला से ही विधायक और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप राठौर ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए गांधी परिवार के लिये एस.पी.जी. सुरक्षा उपलब्ध करवाने की मांग की है।

राहुल गांधी के अमेरिका में जिस वक्तव्य पर भाजपा में इतनी तीव्र प्रतिक्रियाएं उभरी है उस ब्यान को और स्पष्ट करते हुये राहुल ने हर व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता की बात की है। हर व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता हासिल होनी चाहिये चाहे वह कोई भी हो। सिद्धांत रूप से इस पर कोई दो राय नहीं हो सकती। धार्मिक स्वतंत्रता की वकालत करना कोई अपराध नहीं है। इन प्रतिक्रियाओं का प्रतिफल क्या होगा? यह प्रतिक्रियाएं इस भाषा में क्यों आयी हैं? केवल राजनीतिक लोगों ने ही ऐसी प्रतिक्रियाएं क्यों दी हैं यह समझना आवश्यक है। ऐसी प्रतिक्रियाएं राजनीतिक वातावरण का ही प्रतिफल होती हैं यह एक स्थापित सच है। इस समय केंद्र में मोदी की सरकार उसके सहयोगियों पर ही निर्भर है। मोदी इस निर्भरता से बाहर निकलना चाहते हैं। इसके लिये अपने दम अकेले भाजपा का बहुमत बनाने के लिये या दूसरे दलों को तोड़कर उनका विलय अपने में किया जाये या फिर किसी कारण से देश में नये चुनावों की परिस्थितियों पैदा की जायें। इस समय राष्ट्रीय दलों के नाम पर कांग्रेस-भाजपा के अतिरिक्त कोई तीसरा नहीं है। शायद लोकसभा चुनावों में यह उम्मीद ही नहीं थी कि कांग्रेस अपने दम पर नेता प्रतिपक्ष तक पहुंच जाएगी।

मोदी सरकार के पिछले दोनों कार्यकालों में चिन्तन और चिन्ता का सबसे बड़ा मुद्दा सरकारी उपक्रमों को योजनाबद्ध तरीके से निजी क्षेत्र के हवाले करने का रहा है। राहुल गांधी और पूरा विपक्ष इस मुद्दे पर मुखर था। रुपया डॉलर के मुकाबले लगातार कम होता गया है। आज विदेशी कर्ज 205 लाख करोड़ हो गया है। आईएमएफ ने स्पष्ट कहा है कि यदि इसी रफ्तार से विदेशी कर्ज बढ़ता रहा तो यह शीघ्र ही जी.डी.पी. का सौ प्रतिशत हो जायेगा और यह कर्ज चुका पाना कठिन हो जायेगा। इस मुद्दे पर उठे सवालों का ही परिणाम है कि केंद्र में भाजपा को अपने दम पर बहुमत नहीं मिल पाया। आज भी स्थितियां सुधरी नहीं है। इन स्थितियों पर कोई बड़ा सार्वजनिक संवाद न खड़ा हो जाये और भाजपा को अपने दम पर बहुमत भी हासिल हो जाये यह इस समय की आवश्यकता है। यह संवाद छेड़ने की क्षमता इस समय राहुल गांधी के अतिरिक्त किसी दूसरे नेता में शायद नहीं है। नरेन्द्र मोदी ने भी कांग्रेस के खिलाफ राजनीतिक वातावरण तैयार करने के लिए विदेश यात्राओं का ही सहारा लिया था और आज राहुल भी इस लाइन पर चल रहे हैं। इसलिये राहुल गांधी को विवादित बनाना मोदी सरकार की शायद आवश्यकता है। इसी के साथ हिन्दू कार्ड को उभारने के लिये वक्फ संशोधन विधेयक के नाम पर एक मुद्दा खड़ा कर दिया गया जो पूरे देश में फैलता जा रहा है। हिमाचल जैसे राज्य में भी सरकार के कमजोर आकलन के कारण पूरे प्रदेश में यह मुद्दा खड़ा हो गया है। सरकार के मंत्री न चाहते हुये भी इसमें पार्टी बन गये हैं।

इसी समय एक देश एक चुनाव को लेकर गठित कमेटी की रिपोर्ट जारी कर दी गयी है। इस रिपोर्ट की चर्चाओं में यह उभारने का प्रयास किया जा रहा है कि यह तुरन्त प्रभाव से लागू कर दिया जाना चाहिये। केंद्रीय मंत्रिमण्डल ने इस रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। इसके लिये जो आवश्यक संविधान संशोधन चाहिये वह संसद के अगले सत्र में किये जा सकते हैं। इस तरह प्रस्तावित वक्फ संशोधन विधेयक और एक देश एक चुनाव ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आम राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं उनकी परफॉरमेंस से आम आदमी खुश नहीं है। ऐसे राजनीतिक वातावरण में यदि मोदी भाजपा चुनावों का फैसला ले लेते हैं तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। बल्कि कांग्रेस की राज्य सरकारों की परफॉरमेंस से इस संभावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता कि कांग्रेस में बड़े स्तर पर तोड़फोड़ के हालात बन जायें। इस परिदृश्य में यह लगता है कि राहुल की अमेरिका यात्रा पर उठी प्रतिक्रियाओं का एक बड़ा राजनीतिक मकसद है।

बांग्लादेश की अशांति के दौरान अल्पसंख्यकों पर आक्रमण इस्लामिक वसूलों के खिलाफ



गौतम चौधरी

अभी हाल ही पड़ोसी बांग्लादेश में राजनीतिक उथलपुथल के कारण अशांति उत्पन्न हो गयी। इस अशांति के कारण पूरे बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया गया। खासकर हिन्दू अल्पसंख्यक जनता को व्यापारिक प्रतिष्ठान, धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया गया। दुनिया के समाचार माध्यमों में छपी खबर के अनुसार कई हिन्दू अल्पसंख्यकों की हत्या की गयी और महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया। जैसा कि मैं व्यक्तिगत रूप से इस्लाम को जानता हूं और इस्लामिक विद्वानों की व्याख्या को सुना और पढ़ा है उसके अनुसार इस्लाम की यह प्रकृति और प्रवृत्ति कभी नहीं रही। इस्लाम के पवित्र ग्रंथों में इस बात की हेदायत दी गयी है कि इमान वाले अपने आसपास के अल्पसंख्यक, महिला, वृद्ध और बच्चों की हिफाजत करें। यदि ऐसा वे नहीं कर पाते हैं तो इस्लाम के पाक मान्यताओं को वे नहीं मानते हैं और ऐसे में उन्हें अपने आप को मुसलमान कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। इस्लाम को गैरजरूरी फितने को हतोत्साहित करने की बात कही गयी है।

इस्लामी धर्मग्रंथों में समाज के भीतर व्यवस्था और न्याय बनाये रखने के महत्व पर जोर देने वाले कई संदर्भ हैं। हिंसा या अराजकता से घृणा करते हुए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर मुहम्मद ने हमेशा बातचीत और शांतिपूर्ण तरीकों से विवादों को हल करने की वकालत की है। कुछ शांतिप्रिय मुस्लिम विद्वानों का साफ कहना है कि किसी भी मुसलमान के लिए कानून अपने हाथ में लेना और हिंसक विद्रोह में शामिल होना

इस्लाम के सिद्धांतों के विपरीत है। अब जब छात्रों की मांगें पूरी हो गई और शेख हसीना के नेतृत्व वाली सरकार को उखाड़ फेंक दिया गया, तो छात्र और आम जनता के लिए सामान्य स्थिति बहाल करने पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है। छात्रों को अपनी पढ़ाई पर लौटना चाहिए और राष्ट्र को फिर से स्थिर बनाने में अपनी भूमिका निभानी चाहिए।

इस्लाम शिकायतों को दूर करने के साधन के रूप में शांतिपूर्ण और रचनात्मक बातचीत को प्रोत्साहित करता है। शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि वे अहिंसा, कानून और व्यवस्था के प्रति सम्मान के इस्लामी मूल्यों के अनुरूप होते हैं। बांग्लादेश में शांतिपूर्ण ढंग से शुरू हुआ छात्रों का विरोध प्रदर्शन परिवर्तन लाने के लिए अहिंसक आंदोलनों का एक उदाहरण हो सकता था लेकिन यह देखते ही देखते हिंसक हो गया। यह याद रखना जरूरी है कि इस्लाम धैर्य, संयम और संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान का आह्वान करता है। जबकि क्रांति का उद्देश्य शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के माध्यम से वास्तविक शिकायतों को संबोधित करना था। बाद में कुछ मौकापरस्थित और कट्टरपंथी तत्वों ने आन्दोलन को अपने हित में उपयोग करना प्रारंभ कर दिया। इसके कारण बांग्लादेश का आन्दोलन बदनाम हुआ। इन समूहों के कुछ वर्ग अपने राजनीतिक एजेडे पर जोर देने के लिए मौजूदा स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश करने लगे। जिससे हिंसा बढ़ गई, खासकर अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ यह बेहद आक्रामक हो गया।

एक मुस्लिम-बहुल राष्ट्र के रूप में, बांग्लादेश की अपनी हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक आबादी की रक्षा करने की जिम्मेदारी है। इस्लाम अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और उचित व्यवहार सिखाता है। शांतिपूर्ण और समावेशी समाज को बढ़ावा देने के लिए, सभी

नागरिकों की सुरक्षा और अधिकार सुनिश्चित करना, चाहे उनकी धार्मिक संबद्धता कुछ भी हो, आवश्यक है। यह प्रदर्शित करने के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है कि इस्लाम के वास्तविक अर्थ को समझा जाए। केवल बांग्लादेश के भीतर बल्कि भारत जैसे पड़ोसी देशों के साथ सद्भाव को बढ़ावा देना भी बांग्लादेश की वर्तमान सरकार के लिए जरूरी है। बांग्लादेश के वर्तमान रणनीतिकारों को इस विषय पर बिना कियी पूर्वाग्रह के गंभीरता से विचार करना चाहिए।

उथल-पुथल के बीच बांग्लादेश में कुछ मुसलमानों के हिंदू मंदिरों और पूजा स्थलों की रक्षा करना सराहनीय कदम है। इसे सत्ता प्रतिष्ठान के द्वारा प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इस प्रकार की कारवाइ अधिकांश लोगों की हिंसा से बचने और अपने साथी नागरिकों की रक्षा करने की इच्छा को उजागर करता है। कभी-कभी, अराजकता के समय में हिंदुओं पर हमले ऐतिहासिक शिकायतों और अवसरवादी उद्देश्यों से भी प्रेरित होते हैं। बांग्लादेश में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए सभी समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करना जरूरी है।

इस्लाम राज्य या किसी समुदाय के खिलाफ हिंसा की इजाजत नहीं देता। शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन की प्राथमिकता इस्लामी शिक्षाओं के अनुरूप है और अब जब मांगें पूरी हो गई हैं, तो छात्रों और नागरिकों के लिए सामान्य स्थिति में लौटने एक बेहतर विकल्प है। आखिरकार, किसी भी समाज की प्रगति के लिए शिक्षा और रचनात्मक जुड़ाव महत्वपूर्ण हैं। अल्पसंख्यकों की रक्षा करना न केवल एक इस्लामी कर्तव्य है, बल्कि पड़ोसी देशों में शांति को बढ़ावा देने और अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए भी आवश्यक है। इस चुनौतीपूर्ण समय में, इस्लाम के सिद्धांतों को कायम रखना और सभी नागरिकों के लिए न्याय सुनिश्चित करना एक इस्लामिक राष्ट्र का भी सर्वोपरि कर्तव्य होना चाहिए।

सरकार कर रही आपदा प्रबंधन तंत्र को सुदृढ़ व सशक्त



—राजन कुमार शर्मा—
आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ
डी.सी. कार्यालय, नाहन जिला सिरमौर
हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य पर्वतीय क्षेत्र होने के चलते विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं के लिए अति संवेदनशील क्षेत्र है। जिसके चलते यहां के आपदा प्रबंधन तंत्र को और अधिक सुदृढ़ व सशक्त होना अति आवश्यक है, वर्तमान में जलवायु परिवर्तन जैसी विकट परिस्थितियों के चलते इसे आधुनिक तकनीकी, संचार व क्षमता निर्माण के क्षेत्र में सुदृढ़ होना पड़ेगा। वैसे तो आपदा प्रबंधन अधिनियम - 2005 के

गठन के साथ ही राज्य में हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन हो गया था परन्तु इसका धरातल पर संचालन व क्रियान्वयन वर्ष 2016 से आरंभ हुआ था। जिसमें की हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों का गठन हुआ तथा इसी के अंतर्गत राज्य में राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र तथा समस्त जिलों में जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्रों का गठन व क्रियान्वयन आरंभ किया गया। इसका एकमात्र उद्देश्य हिमाचल प्रदेश में चिन्हित एवं सूचीबद्ध की गई 17 विभिन्न प्रकार की आपदाओं से बचाव एवं उनका योजनाबद्ध प्रबंधन सुनिश्चित करना था।

इसी के अनुरूप हिमाचल सरकार द्वारा फ्रॉन्स विकास एजेंसी (AFD) के साथ लगभग 890 करोड़ रुपये की परियोजना पर ज्ञापन हस्ताक्षर किया गया। इस परियोजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में आपदा प्रबंधन व जलवायु जोखिम न्यूनीकरण

परियोजनाओं को एक दिशा एवं प्रबंधन व गति प्रदान करना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश के विभिन्न भागों में लगभग 48 स्वचालित मौसम केंद्रों की स्थापना करना है, जो की प्रदेश में विभिन्न प्रकार की आपदाओं जैसे कि भूस्वलन, तीव्र बाढ़, बादल फटना, जलवायु परिवर्तन, हीट वेव, अति वर्षा जैसी गतिविधियों पर पूर्व चेतावनी प्रदान करना व इसके साथ ही हिमाचल में कृषि, बागवानी के लिए वास्तविक मौसम भविष्यवाणी प्रदान करना भी प्राथमिकता होगी। सरकार का यह मानना भी है कि यदि यह परियोजना प्रथम चरण पर सफल होती है तो इसे बाद में खंड स्तर पर भी शीघ्र ही स्थापित किया जाएगा। इसी के संदर्भ में इस परियोजना में फ्रॉन्स विकास एजेंसी द्वारा राज्य के सभी जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों एवं जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्रों को

और अधिक मजबूती प्रदान करने एवं सुदृढ़ बनाने के क्षेत्र में भी सहयोग प्रदान करने की सहमति जताई है।

इसके अतिरिक्त यदि हम आपदा के क्षेत्र में विकास की बात करें तो वर्ष 2018 में राज्य के समस्त जिला मुख्यालयों व राज्य के जनजातीय उपमंडल केन्द्रों जिसमें कि मुख्यतः काजा, भरमौर, किन्नौर व पांगी में सैटेलाइट आधारित फोन प्रदान किए गए थे, तत्पश्चात हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट को भी इसी वर्ष लॉन्च कर दिया गया था। जैसा की सैटेलाइट आधारित फोन के माध्यम से हम विभिन्न प्रकार की आपदाओं में संचार व्यवस्था व पर्वतीय क्षेत्रों में पर्वतारोहियों के भटक जाने की स्थिति में इसका अत्यधिक प्रयोग किया जा सकता है, इसी के अनुरूप वर्ष 2024 में सरकार द्वारा इसकी उपयोगिता को देखते हुए लगभग 73 अतिरिक्त सैटेलाइट फोन अन्य संवेदनशील उपमंडलीय स्तर पर भी स्थापित करने का निर्णय लिया है जो कि आगामी एक माह के अन्दर स्थापित कर दिए जाएंगे। सैटेलाइट फोन की अगर विशेषताओं की बात करें तो यह आपातकाल प्रतिक्रिया, मौसम पूर्वानुमान जानकारी, लॉजिस्टिक व्यवस्था बनाये रखने में अधिक कारगर साबित होती है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जिला स्तरों पर आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र को और अधिक सुदृढ़ करने के उद्देश्य से आपातकालीन प्रबंधन एवं प्रतिक्रिया तंत्र विकसित किया है जो की निशुल्क 112 दूरभाष नंबर के साथ संयोजित रूप से कार्य करेगा एवं आपदा संबंधी मामलों पर तुरंत कार्यवाही कर विभिन्न मामलों का निष्पादन करने में सक्षम हो पायेगा। इससे प्रदेश में आपदा प्रबंधन से संबंधित मामलों का निपटारा तुरंत करने में अति शीघ्रता आएगी। यदि वर्तमान समय की बात करें तो आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की परियोजनाएं व क्षमता वृद्धि प्रोजेक्ट्स पर क्रियान्वन सक्रिय रूप से किया जा रहा है जिसमें की एक उपलब्धि राज्य में हैम रेडियो (HAM Radio) या शौकिया रेडियो में लगभग 21 ऑपरेटरों को लाइसेंस व प्रशिक्षण प्रदान करना है, तथा ड्रोन ऑपरेटर व पायलटों (Drone Pilot) को प्रशिक्षण एवं लाइसेंस प्रदान करना भी है, इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा राज्य में आपदा शमन निधि के अंतर्गत एक परियोजना प्रबंधन यूनिट (PMU) का गठन किया गया है व इसके अतिरिक्त राज्य के विभिन्न प्रकार के परियोजनाओं की समीक्षा करना एवं बजट उपलब्ध करवाना भी इस यूनिट का मुख्य कार्य है। राज्य सरकार द्वारा गत वर्ष NIC Shimla के सहयोग से स्कूलों की सुरक्षा के निहित स्कूल सुरक्षा प्रबंधन

सूचना तंत्र (MIS) की शुरुआत करना है जिसमें कि राज्य के प्रत्येक स्कूलों के स्कूल आपदा प्रबंधन परियोजनाओं को मोबाइल ऐप आधारित सॉफ्टवेयर में निर्मित करना है जिसके अंतर्गत वर्तमान समय में 18,383 स्कूलों में से 9,910 स्कूलों ने अपने स्कूलों के आपदा प्रबंधन योजनाएं इस ऐप में तैयार कर ली है तथा बाकी कार्य भी प्रगति पर चल रहा है। हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, शिमला राज्य में आपदाओं के उचित प्रबंधन एवं शमन के अंतर्गत राज्य एवं जिला स्तरों पर आपातकालीन नियंत्रण कक्षों के माध्यम से एक निशुल्क नंबर 1077 व 1070 कि स्थापना भी की है जिसमें की आम - जन अपने क्षेत्र की आपदाओं से संबंधित जानकारी/शिकायत निशुल्क इस दूरभाष नंबर पर दर्ज करवा कर संबंधित निवारण तुरंत पा सकते हैं। एक अनुमान के अनुसार कोविड काल में हिमाचल प्रदेश में उपरोक्त निशुल्क दूरभाष नंबरों के माध्यम से लगभग 50,000 से अधिक आपदा संबंधी शिकायतों का तुरंत निवारण किया गया था जो कि अपने आप में एक कीर्तिमान है। यही नहीं गौरतलब रहे की भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मंडी की कंप्यूटिंग साइंस एवं संगणक अभियांत्रिकी विभाग की टीम द्वारा हिमाचल प्रदेश के चार जिलों सिरमौर, कांगड़ा, मंडी और किन्नौर जिलों में वर्ष 2023 में कम लागत के भूस्वलन चेतावनी तंत्र पर आधारित लगभग 30 सेंसर स्थापित किए गए हैं, इसके अतिरिक्त प्रदेश के अन्य भूस्वलन प्रभावित क्षेत्रों में भी इस तरह के कम लागत के सेंसर भविष्य में लगाए जाने की परियोजना चल रही है। इसका एकमात्र उद्देश्य हिमाचल प्रदेश में भू - स्वलन से होने वाले नुकसान, सड़क दुर्घटनाओं एवं अन्य तरह के जान - माल के नुकसान व आवृत्ति को कम करना है।

अंत में यह कहना उचित होगा कि हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण निरंतर प्रतिवर्ष विकास की एक गाथा लिख रहा है और आपदाओं को न्यून करने हेतु लगातार सक्रिय और प्रतिबद्ध है, अतः इसके लिए राज्य में आपदा प्रबंधन से संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी बधाई के पात्र हैं। यहां न केवल आपदा प्रतिक्रिया तंत्र को सुदृढ़ करना है बल्कि तकनीकी, पूर्व चेतावनी तंत्र का विकास, व नई वैज्ञानिक विधियों का समावेश भी शामिल हो जिससे कि हिमाचल प्रदेश में आने वाले समय में इन विभिन्न प्रकार की आपदाओं से आम जन एवं बहुमूल्य प्राकृतिक संपदा व निजी संपदाओं की रक्षा की जा सके, जिससे कि प्रदेश की आर्थिक वृद्धि, प्रगति, पर्यावरण संरक्षण व सतत् विकास भविष्य में सुनिश्चित हो सके।

प्रदेश सरकार विशेष रूप से सक्षम बच्चों के सपनों को कर रही साकार

राज्य में 5,700 विद्यार्थियों को जीवन में आगे बढ़ने के समान अवसर हो रहे सुनिश्चित

शिमला। समावेशी शिक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को जताते हुए प्रदेश सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान के तहत विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए धरातल पर कई महत्वाकांक्षी पहल की हैं ताकि उन्हें सहारा देकर वो अवसर मिल सकें जिनके वे हकदार हैं। सरकार के इन प्रयासों के वर्ष 2023-24 में शानदार परिणाम सामने आये जिससे प्री - प्राइमरी से 12वीं कक्षा तक के 5,700 से अधिक विशेष रूप से सक्षम बच्चों को विभिन्न सुविधाएं प्राप्त हुई हैं। इससे प्रदेश समावेशी शिक्षा में अग्रणी के तौर पर स्थापित हुआ है।

सरकार की एक खास उपलब्धि रही है जिसमें प्री प्राइमरी स्तर पर विशेष रूप से सक्षम 129 बच्चों, प्रारंभिक स्तर 4,013 और माध्यमिक स्तर पर 1,558 बच्चों का एकीकरण/ समाकलन किया गया है। गंभीर और अति गंभीर दिव्यांगता वाले 1,464 विद्यार्थियों के लिए घर - आधारित शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत राज्य सरकार के समावेशी दृष्टिकोण को दर्शाती है। प्रदेश सरकार का यह प्रयास है कि कोई भी विद्यार्थी अपनी चुनौतियों के कारण पिछड़ न जाये।

प्रदेश सरकार और भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम के सहयोग के परिणामस्वरूप 1,100 बच्चों का व्यापक चिकित्सा मूल्यांकन किया गया। इनमें से 694 बच्चों को विशेष रूप से निर्मित सहायक उपकरण दिए

गए। 140 शैक्षणिक खंडों में आयोजित किए गए इस कार्यक्रम का इन छात्रों की गतिशीलता और सीखने की क्षमताओं पर एक परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ा है।

इसके अतिरिक्त दिव्यांग विद्यार्थियों को ब्रेल पुस्तकें प्रदान की गईं, जबकि कम दृष्टि वाले विद्यार्थियों को बड़े अक्षरों वाली पाठ्य पुस्तकें प्रदान की गईं, जो उनकी विशेष जरूरतों को पूरा करने में लाभकारी साबित हुईं।

इनके परिवारों को वित्तीय मदद की जरूरत महसूस करते हुए सरकार द्वारा प्राथमिक स्तर के 1,744 और माध्यमिक स्तर के 692 विद्यार्थियों को अनुसंधान भत्ता प्रदान किया जा रहा है। विशेष जरूरत वाले विद्यार्थियों में निरंतर शिक्षा को प्रोत्साहित करने और उच्च नामांकन के लिए प्राथमिक स्तर पर 1,522 और माध्यमिक स्तर पर 655 विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना के माध्यम से 200 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है।

प्रदेश सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि विशेष जरूरत वाले बच्चों के समग्र विकास को प्राथमिकता दी जाए। इनमें शारीरिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न खेल आयोजन और एक दिवसीय भ्रमण आयोजित किए गए। वहीं, विद्यार्थियों को व्यक्तिगत चुनौतियों से उबरने में मदद करने के लिए फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी और व्यावसायिक

चिकित्सा जैसी चिकित्सीय सेवाएं भी प्रदान की गईं।

प्रदेश सरकार ने प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करने के लिए 72 स्पेशल एजुकेशन टीचर नियुक्त किए हैं। इन शिक्षकों के निरंतर पेशेवर विकास पर भी ध्यान दिया गया। जनवरी 2024 में आयोजित बहु - कक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम द्वारा इसका प्रदर्शन किया गया।

इसके अलावा प्रदेश सरकार ने दिव्यांगता के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव लाने के लिए भी कई सक्रिय कदम उठाये हैं। सकारात्मक सोच और समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए सभी शैक्षणिक खंडों में प्रदेशभर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए जिसके परिणामस्वरूप सभी जिलों में विश्व दिव्यांग दिवस मनाया गया। इस पहल ने समावेशी शिक्षा के लिए सामुदायिक समर्थन को बढ़ावा देने में मदद की और विशेष रूप से दिव्यांग विद्यार्थियों के अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया।

राज्य सरकार द्वारा उठाये जा रहे इन कदमों के न केवल सार्थक परिणाम सामने आ रहे हैं बल्कि एक समावेशी और सहायक शैक्षणिक वातावरण भी तैयार हो रहा है। विशेष रूप से सक्षम बच्चों को सशक्त कर हिमाचल प्रदेश देश भर में समावेशी शिक्षा के लिए एक मिसाल कायम कर रहा है, जिससे सभी विद्यार्थियों के लिए समान अवसर सुनिश्चित हो रहे हैं।

हिमाचल के अधिकारों के साथ कोई मीडिया में बने रहने के लिए अमर्यादित समझौता नहीं होने दिया जाएगा: मुख्यमंत्री भाषा का प्रयोग कर रहे भाजपा नेता: मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार किसी भी कीमत पर हिमाचल प्रदेश के अधिकारों के साथ समझौता नहीं होने देगी। प्रदेश सरकार 210 मेगावाट लूहरी जल विद्युत परियोजना चरण-1, 66 मेगावाट धौलासिद्ध विद्युत परियोजना और 382 मेगावाट सुन्नी विद्युत

हालांकि राज्य में हाल के वर्षों में निवेश में कमी आई है, लेकिन राज्य सरकार हिमाचल के अधिकारों की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार व्यवस्था परिवर्तन के माध्यम से आत्मनिर्भर हिमाचल प्रदेश की ओर बढ़ रही है। उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सरकार द्वारा किए जा रहे महत्वपूर्ण सुधारों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इस दिशा में

उन्होंने चुनौतियों का सामना करने के अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि पिछली भाजपा सरकार से वर्तमान राज्य सरकार को विरासत में मिली आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए वित्तीय अनुशासन पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि हिमाचल प्रदेश में कोई वित्तीय संकट नहीं है। अगर कोई आर्थिक संकट होता, तो राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना और महिलाओं के लिए 1500 रुपये प्रति माह पेंशन बहाल नहीं की जा सकती थी। उन्होंने कहा कि सरकार पूरे विवेक के साथ वित्तीय प्रबंधन पर काम कर रही है।

मुख्यमंत्री ने लोकतंत्र में न्यायपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया और न्यायपालिका तथा राज्य सरकार के बीच निरंतर सहयोग की आशा व्यक्त की।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर लगाए गए रक्तदान शिविर में रक्तदान करने वाले अधिवक्ताओं और विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में विजेता रहे अधिवक्ताओं को सम्मानित किया।

महाधिवक्ता अनूप रतन ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया तथा हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दिलीप कायथ ने मुख्यमंत्री को मांग-पत्र सौंपा, जिस पर मुख्यमंत्री ने सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया।

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने पत्रकार-वार्ता को संबोधित करते हुए लोकसभा में विपक्ष के नेता एवं वरिष्ठ कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के विरुद्ध भाजपा और शिवसेना नेताओं की अपमानजनक और अनुचित भाषा शैली की कड़ी निंदा की।

भावना को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन राजनीतिक परिदृश्य में शब्दों की गरिमा को बनाये रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने



उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं की इस तरह की अपमानजनक बातें भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को ठेस पहुंचाती हैं। इस मामले में भाजपा हाईकमान को हस्तक्षेप करना चाहिए तथा ऐसी टिप्पणियों के लिए जिम्मेदार नेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। सुक्खू ने कहा कि मैं व्यक्तिगत तौर पर और हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से राहुल गांधी के खिलाफ इस्तेमाल की गई अभद्र भाषा की कड़ी भर्त्सना करता हूँ। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और देश के सम्मानित नेताओं में शुमार हैं। उनके दूरदर्शी नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा देश में सामाजिक मूल्यों को सुदृढ़ कर रही है। राहुल गांधी, भाजपा नेतृत्व की केंद्र सरकार की तानाशाह नीतियों से त्रस्त लाखों लोगों की आवाज को बुलंद कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार में राज्य मंत्री रवनीत बिट्टू जब कांग्रेस पार्टी से सांसद थे, तो वह राहुल गांधी के प्रशंसक रहे, लेकिन सत्ता में आने के लिए उन्होंने नैतिक मूल्यों से समझौता कर लिया है। उन्होंने कहा कि बिट्टू केवल अपने निजी स्वार्थ और भाजपा में अपनी छवि और स्थान को बनाए रखने के लिए तथा राज्यसभा सांसद बने रहने के लिए इस तरह के हथकड़े अपना रहे हैं। उन्होंने जनकल्याण की

कहा कि राहुल गांधी ने 'भारत जोड़ी यात्रा' के माध्यम से समाज के विभिन्न वर्गों के मध्य शांति और सद्भावना का संदेश दिया है। वह भाजपा सरकार की जनविरोधी और दमनकारी नीतियों के विरुद्ध लगातार आवाज उठा रहे हैं। देश में राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता भाजपा नेताओं को रास नहीं आ रही है। इसलिए वे मीडिया में बने रहने के लिए उनके खिलाफ असंसदीय और अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि देश के लोगों को भारत की अखंडता के लिए किए गए गांधी परिवार का बलिदान याद है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के देश की शांति और अखंडता के लिए दिए गए बलिदान को पूरा विश्व जानता है।

उन्होंने सत्ता में बने रहने के लिए भाजपा नेताओं को इस तरह के हथकड़े अपनाने से बचने की सलाह देते हुए कहा कि राहुल गांधी देश के गरीबों और वंचितों के नेता हैं, जिनके साथ आज पूरा देश खड़ा है।

इस अवसर पर उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया, विधायक सुरेश कुमार, मलेन्द्र राजन, नीरज नैयर, विवेक शर्मा, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार नरेश चौहान और कांग्रेस नेता सुरेन्द्र मनकोटिया भी उपस्थित थे।

विधानसभा अध्यक्ष को राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र का संयोजक बनने पर बधाई

शिमला/शैल। उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया को राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र-2 का संयोजक बनने पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि कुलदीप सिंह पठानिया के इस पद पर शोभायमान होने से हिमाचल प्रदेश गौरवान्वित हुआ है। उन्होंने कहा कि कुलदीप सिंह पठानिया के व्यापक अनुभवों से संघ लाभान्वित होगा।

उप मुख्य सचेतक ने कहा कि कुलदीप सिंह पठानिया ने पीठासीन अधिकारियों सम्मेलनों में सक्रियता से कार्य किया और वह सदैव ही संसदीय परम्पराओं के निर्वहन में अग्रणी भूमिका निभाते हैं।

उन्होंने कहा कि कुलदीप सिंह पठानिया एक कानूनविद होने के साथ-साथ एक आदर्श राजनीतिज्ञ भी हैं। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन के दौरान सदैव ही श्रेष्ठ परम्पराओं का निर्वहन किया और प्रदेश तथा अपने विधानसभा क्षेत्र की विकासत्मक आवश्यकताओं के लिए निरंतर पैरवी की।

उन्होंने कहा कि कुलदीप सिंह पठानिया विद्यार्थी जीवन से ही मानवीय सरोकार और विकासत्मक विषयों को लेकर संघर्ष करते रहे हैं। वर्ष 1985 में वह पहली बार हिमाचल प्रदेश विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। इसके उपरान्त वह वर्ष 1993, 2003, 2007 तथा 2022 में विधायक के रूप में निर्वाचित हुए।

उन्होंने कहा कि कुलदीप सिंह पठानिया ने संगठन तथा सरकार में विभिन्न पदों को सुशोभित किया है। वह पूर्व में हिमाचल प्रदेश विधानसभा में विभिन्न कमेटियों के अध्यक्ष तथा सदस्य रहे हैं। वह राज्य वित्तयोग के अध्यक्ष तथा हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में वह निरंतर श्रेष्ठ परम्पराओं का निर्वहन कर रहे हैं। उन्हें वर्ष 1994 में बैस्ट पार्लियामेन्टेरियन का अवार्ड भी प्रदान किया गया। उन्होंने विदेशों में भी अनेक सम्मेलनों तथा कार्यक्रमों में देश तथा राज्य का प्रतिनिधित्व किया है।



परियोजनाओं को अपने अधीन लेने के लिए उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण याचिका दायर करेगी।

उन्होंने कहा कि अगर परियोजना निष्पादित करने वाली कम्पनियां सरकार की शर्तों को स्वीकार नहीं करती हैं तो इन परियोजनाओं का राज्य सरकार अधिग्रहण करेगी। उन्होंने कहा कि

आवश्यक कानूनी संशोधन किए जा रहे हैं। इन सुधारों के सकारात्मक परिणाम राज्य सरकार के पहले दो बजट में परिलक्षित होते हैं, जिससे समाज के सभी वर्गों को लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा, राज्य सरकार वरिष्ठ अधिवक्ताओं के लिए कल्याणकारी योजना शुरू करने पर विचार कर रही है।

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद और डाइट संस्थानों का होगा पुनर्गठन: मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शिक्षा विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि विद्यालयों के विलय के दृष्टिगत सरप्लस मिड-डे मील कार्यकर्ताओं को समीपवर्ती स्कूलों में समायोजित किया जाएगा और उनकी सेवाओं को समाप्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार विभिन्न पहलों के माध्यम से वर्तमान शिक्षा प्रणाली में क्रान्तिकारी बदलाव ला रही है और शिक्षण संस्थानों में गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से सरकारी स्कूलों का विलय

फिसल गया है और वर्तमान प्रदेश सरकार सरकारी शिक्षण संस्थानों में गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रमुखता से कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने शिक्षकों का ज्ञानवर्धन करने और उन्हें विश्वस्तरीय शिक्षण पद्धतियों की जानकारी प्रदान करने के लिए विदेशों में शिक्षण भ्रमण करवाया ताकि प्रदेश के विद्यार्थी लाभान्वित हो सकें। प्रदेश सरकार शिक्षा, खेल और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी विद्यार्थियों के लिए भी इस तरह के

भाग ले सकते हैं और इन टूर्नामेंट में 6 से 11 आयु वर्ग के विद्यार्थियों के लिए अलग खेल प्रतियोगिताओं आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में खेल गतिविधियों और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने खिलाड़ियों की डाइट मनी में उल्लेखनीय वृद्धि की है। इसके अन्तर्गत राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की डाइट मनी को 240 रुपये से बढ़ाकर 400 रुपये किया गया है। जिला स्तरीय प्रतियोगिता में 300 रुपये तथा खण्ड स्तरीय प्रतियोगिताओं में 240 रुपये दिए जाते हैं। प्रदेश के बाहर प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की डाइट मनी को बढ़ाकर 500 रुपये किया गया है। इसके अतिरिक्त खिलाड़ियों को सुविधा प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार ने राज्य के बाहर आयोजित होने वाले आयोजनों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की यात्रा सुविधा में भी वृद्धि की गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार विद्यार्थियों का समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए शैक्षणिक संस्थानों में खेल गतिविधियों में बढ़ावा दे कर नशे की प्रवृत्ति से दूर रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि खेल जीवन का अभिन्न अंग है जो व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखती है। प्रदेश सरकार ने सभी स्कूलों को शारीरिक व्यायाम के लिए हर दिन कम से कम 15 मिनट समर्पित करने के निर्देश दिए हैं।

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, शिक्षा सचिव राकेश कवरं और अन्य वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।



किया जा रहा है।

सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद और जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थानों का पुनर्गठन किया जाएगा। इसका उद्देश्य प्रदेश के विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार की गलत नीतियों के कारण हिमाचल प्रदेश गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर 21वें स्थान पर

भ्रमण कार्यक्रम आयोजित करवाएगी ताकि विद्यार्थियों की प्रतिभा में और निखार आ सके।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार शैक्षणिक संस्थानों में खेल अधोसंरचना उन्नयन करने के लिए ठोस प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के विद्यार्थियों के लिए खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के विद्यार्थी ऑडर 14 टूर्नामेंट्स में

10वीं और 12वीं के मेधावी विद्यार्थियों को एक्सपोजर विजिट के लिए तय होंगे मानक: रोहित ठाकुर

विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए दृढ़ समर्पित शिक्षक ही एक्सपोजर विजिट पर भेजे जाएंगे

शिमला/शैल। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने शिक्षा विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों के साथ विभिन्न विषयों पर मंथन किया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड की मेरिट में आये दसवीं और बारहवीं के मेधावी विद्यार्थियों को देश और विदेश में एक्सपोजर विजिट पर भेजने के लिए मानक तय किए जाएंगे। इनमें 20-20 विद्यार्थी दसवीं और बारहवीं व अन्य 10 विद्यार्थी खेल, सांस्कृतिक गतिविधियों, एनसीसी,

हजार विद्यार्थियों की कृत्रिम मेधा आधारित परीक्षा ली गई। 13 हजार विद्यालयों में इस परीक्षा का आयोजन किया गया। इस परीक्षा से विषयवार विद्यार्थियों की प्रगति रिपोर्ट मिली।

शिक्षा मंत्री ने इस पर संतोष जताते हुए भविष्य में और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए। शिक्षा मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण एक ऐसा पैमाना है जिसके जरिए विद्यार्थियों के सीखने की उपलब्धियों को लेकर

की भी ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज की जाएगी। बैठक में कॉलेजों के शिक्षकों और प्रधानाचार्यों को शिक्षक पुरस्कार दिए जाने को लेकर मानक तय करने और अधिकतम छात्र संख्या वाले कॉलेजों और विद्यालयों में नये विषय शुरू करने को लेकर भी चर्चा हुई।

स्कूलों में अध्यापकों और कर्मचारियों के युक्तिकरण को लेकर भी अधिकारियों ने सुझाव दिए। इसके अतिरिक्त विद्यालयों में चपरासी-कम-चौकीदार तथा मल्टीटास्क वर्कर की भर्ती को लेकर भी मंथन हुआ।

विद्यालयों में वार्षिक समारोह 30 नवम्बर से पहले और महाविद्यालयों में वार्षिक समारोह 20 फरवरी तक आयोजित किए जाने को लेकर भी चर्चा की गई। वहीं शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन विद्यालयों में छुट्टियों को लेकर अधिकारियों ने सुझाव दिए। किराये पर लिए महाविद्यालयों के भवनों को मर्ज विद्यालयों के खाली हुये भवनों में स्थानांतरित करने पर भी सहमति बनी।

शिक्षा मंत्री ने कई वर्षों से बाहरी राज्यों में डेपुटेशन पर गये शिक्षकों, अधिकारियों का रिकॉर्ड भी तलब किया है। ऐसे शिक्षकों, अधिकारियों को नोटिस जारी किये जाएंगे और इन्हें जल्द से जल्द हिमाचल प्रदेश में अन्यों स्थानों पर तैनाती दी जाएगी।

बैठक में शिक्षा सचिव राकेश कंवर, अतिरिक्त शिक्षा सचिव निशांत ठाकुर, संयुक्त शिक्षा सचिव सुनील वर्मा, उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. अमरजीत कुमार शर्मा, प्रारंभिक शिक्षा निदेशक आशीष कोहली, प्रारंभिक शिक्षा अतिरिक्त निदेशक, बी.आर. शर्मा समग्र शिक्षा राज्य परियोजना निदेशक राजेश शर्मा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

पानी की दरों में कई गुना बढ़ोतरी करके जनता पर लादा बोझ: बिंदल

शिमला/शैल। हिमाचल की जनता से चुन-चुनकर बदले ले रही है प्रदेश की कांग्रेस सरकार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिन्दल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की सुखविन्द



सिंह सुखवू सरकार द्वारा प्रदेशभर में पीने के पानी की दरों की अधिसूचना जारी की है जिसके अनुसार हिमाचल प्रदेश का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं बचा जिसकी जेब पर कांग्रेस सरकार ने डाका न डाला हो।

डॉ. बिन्दल ने कहा कि भाजपा सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में पीने का पानी पूरी तरह मुफ्त कर दिया था और आज तक पानी मुफ्त में ही मिल रहा था परन्तु कांग्रेस सरकार ने भारी भरकम बोझ गरीब आदमी पर डाल दिया है। यदि किसी भी व्यक्ति

के घर में 3 नलके हैं तो उसको 300 रुपये प्रतिमाह का बिल देना होगा और यदि वह मीटर लगाता है तो पानी की नई दरें अधिसूचित कर दी है जिसके अनुसार सैंकड़ों रुपये का बिल हर महीने आयेगा और मीटर खराब होने की सूरत में 300 रुपये से 8000 रुपये तक प्रतिमाह भरना होगा। इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों में और औद्योगिक क्षेत्रों में पानी की दरों में कई गुना बढ़ोतरी करके जनता के ऊपर भारी भरकम बोझ लाद दिया है।

डॉ. बिन्दल ने कहा कि वो सरकार जो हर चीज मुफ्त में देने का वायदा करके वोट बटोर कर सत्ता में आयी, वो दोनों हाथों से जनता से नोट बटोर रही है। उन्होंने कहा कि सुखविन्द सिंह सुखवू सरकार ने सत्ता में आते ही 7 रुपये लीटर डीजल महंगा किया, तत्पश्चात स्टेप्स ड्यूटी कई सौ गुना बढ़ाई, फिर बिजली के दाम 20 महीने में 4 बार बढ़ाये, बसों के किराए में भारी भरकम बढ़ोतरी की, डिपु से मिलने वाले राशन के दामों में भारी भरकम बढ़ोतरी की। इस प्रकार हिमाचल की जनता के ऊपर भारी भरकम टैक्स का बोझ लगाकर सामान्य जनमानस का जीना दुष्पार कर दिया है।

राज्य सरकार के कुप्रबंधन से बिगड़ी आर्थिक सेहत: रणधीर शर्मा

शिमला। भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने मुख्यमंत्री सुखवू पर हमला बोलते हुए कहा कि, मस्जिद विवाद से उपजे हालात के बाद प्रदेशभर में लोग आंदोलित है। इस स्थिति को संभालने के लिए सीएम ने बीते 13 सितंबर को सर्वदलीय मीटिंग बुलाई। मीटिंग के बाद सीएम ने एक स्टेटमेंट दी और कहा कि यह सहमति

कहा, जन आंदोलन करने वाले लोगों को एक हफ्ते बाद भी केस दर्ज हो रहे हैं। पत्रकारों को भी नोटिस भेजे जा रहे हैं।

रणधीर शर्मा ने मुख्यमंत्री के केंद्र सरकार के पास 23 हजार करोड़ रुपए पेंडिंग होने और प्रदेश से भेदभाव करने के ब्यान पर भी पलटवार किया। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री बोल रहे कि केन्द्र आर्थिक दृष्टि से भेदभाव कर रहा है। यह कहना निराधार है। रणधीर ने कहा, कांग्रेस की प्रदेश की सरकार राज्य की अनुमानित दर से भी बजट मिला था। राज्य को 2023-24 में केंद्रीय करों में 8478 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी अनुमानित थी, जबकि केंद्र ने 9167 करोड़ 23 लाख रुपए दिए हैं। इसी तरह 2024-25 में हिमाचल सरकार को 10124 करोड़ रुपए मिलने का अनुमान था, जबकि केंद्र ने प्रदेश को 10351 करोड़ 82 लाख रुपए दिए हैं। 2023-24 में 13249 करोड़ रुपए और 2024-25 में 13287 करोड़ रुपए केंद्र ने हिमाचल को दिए हैं।

रणधीर शर्मा ने कहा, हिमाचल की आर्थिक सेहत फिजूलखर्ची और राज्य के कुप्रबंधन की वजह से बिगड़ रही है। राज्य सरकार इसके लिए केंद्र पर दोष मढ़ कर अपनी कमियों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है।

रणधीर शर्मा ने एक राष्ट्र एक चुनाव के केंद्रीय कैबिनेट के निर्णय का स्वागत किया। उन्होंने इससे करोड़ों रुपए की फिजूलखर्ची रुकेगी। इस देश में एक ही बार लोकसभा व विधानसभा चुनाव समय की आवश्यकता है। बार बार चुनाव के कारण आचार संहिता लगती है। इससे विकास कार्य भी ठप हो जाते हैं।



एनएसएस और भारत स्काउट एंड गाइड से भेजने की सिफारिश की गई है। इस पर अंतिम फैसला शीघ्र लिया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने निर्देश दिए कि विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए दृढ़ समर्पित शिक्षक ही एक्सपोजर विजिट पर भेजे जाएं।

सरकारी विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने के लिए असम, छत्तीसगढ़ और गुजरात द्वारा अपनाए गए मॉडल पर भी मंथन हुआ। बैठक में समग्र शिक्षा की ओर से तीसरी, छठी और नौवी कक्षा के विद्यार्थियों के राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (नेशनल अचीवमेंट सर्वे) में प्रदर्शन को लेकर प्रस्तुति भी दी गई। इसमें हाल ही में एक लाख 61

जानकारी प्राप्त की जा सकती है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि नवम्बर में ली जाने वाली राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण की परीक्षा को चुनौती के तौर पर लिया जाये। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग के सभी विंग मिलकर और समन्वय से कार्य करें ताकि विभाग द्वारा उठाए जा रहे सुधारात्मक कदमों के सार्थक परिणाम आये।

प्रस्तुति के दौरान अवगत करवाया गया कि प्रदेश के 11 हजार विद्यालयों के शिक्षक ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं और आगामी एक माह में सभी 15 हजार विद्यालय इस सुहिम में कवर कर लिए जाएंगे। सभी विद्यार्थियों

उपयोगकर्ता अनुभव और डिजाइन प्रणाली पर जागरूकता कार्यशाला का आयोजन

शिमला/शैल। डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं गवर्नेंस विभाग के निदेशक डॉ. निपुण जिन्दल ने बताया कि प्रदेश सरकार के डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं गवर्नेंस (डीटीएंडजी)

उन्होंने विभाग द्वारा आरम्भ की गई विभिन्न महत्वाकांक्षी परियोजनाओं की जानकारी साझा करते हुए कहा कि विभिन्न विभागों की कार्यप्रणाली में डिजिटल प्रौद्योगिकी का समावेश



ने केन्द्र सरकार के राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिविजन के संयुक्त तत्वावधान में शिमला में एक कार्यशाला का आयोजन किया। प्रदेश में यूजर एक्सपिरियंस और डिजाइन सिस्टम पर पहली बार जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया।

निदेशक डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं गवर्नेंस डॉ. निपुण जिंदल ने कार्यशाला के आयोजन और इसके विस्तृत पहलुओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने प्रदेश में ई-ऑफिस के उपयोग और सुशासन में डिजिटल गवर्नेंस के महत्व पर प्रकाश डाला।

कार्यशाला में यूएक्सडी डिजाइन सिस्टम के बारे में प्रस्तुति दी गई और डिजाइन थिंकिंग के बारे में अवगत करवाया गया। इसके अतिरिक्त यूएक्सडी टीम ने हिमाचल में विभिन्न सेवायें उपलब्ध करवाने वाले ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल

पर एक केस स्टडी भी प्रस्तुत की।

इस अवसर पर विभिन्न विभागों द्वारा उनकी कार्य शैली में डिजाइन सिस्टम को शामिल करने और लोगों को सुलभ और समयबद्ध जन सेवायें सेवाएं प्रदान करने के लिए कुशल कार्यप्रणाली स्थापित करने पर विशेष बल दिया गया।

सूचना प्रौद्योगिकी प्रबन्धक नरेन्द्र कुमार ने कार्यशाला की कार्यसूची प्रस्तुत की।

उप-महाप्रबन्धक अजीत कुमार, यूएक्स डीजीनियर आदित्य पी. सिंह, यूएक्स डिजाइनर आकर्षण चौहान ने कार्यशाला के विभिन्न सत्रों का संचालन किया।

इस अवसर पर यूएक्सडी (यूजर एक्सपिरियंस फॉर गवर्नेमेंट एप्लीकेशन) के अनुभव, डिजाइन और क्रियान्वयन संबंधी विषयों पर चर्चा की गई।

कार्यशाला में अतिरिक्त प्रधान मुख्य अरण्यपाल वन डॉ. देव राज कौशल, भू-राजस्व की संयुक्त निदेशक डॉ. राखी सिंह, डीडीटीएंडजी के अतिरिक्त निदेशक राजीव शर्मा, संयुक्त निदेशक अनिल सेमवाल और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने कार्यशाला में भाग लिया।



बनी कि बाहरी राज्यों से आ रहे लोगों की पहचान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने विधानसभा अध्यक्ष के अध्यक्षता में दोनों दलों के विधायकों वाली समिति का गठन करना था जो की नहीं किया गया।

विवाद के निपटाने को एक कमेटी बनाई जाएगी। दूसरी कमेटी (स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी के लिए) बनाने के लिए विधानसभा अध्यक्ष से बात करेंगे। मगर एक सप्ताह बीतने को आ गया। अभी तक कमेटी का गठित नहीं किया गया। इससे पता चलता है कि इतने गंभीर मसले को लेकर मुख्यमंत्री कितने गंभीर हैं।

उन्होंने कहा कि, कांग्रेस पार्टी भी वामपंथियों की तरह ऐसे प्रवासी लोगों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि, सरकार ने सर्वदलीय मीटिंग के बाद अब तक एक भी कदम इस गंभीर मसले को सुलझाने के लिए नहीं उठाया। उन्होंने

रोजगार पर आये सवालों का जवाब सूचना एकत्रित की जा रही है क्यों और कब तक

शिमला/शैल। कांग्रेस ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में प्रतिवर्ष एक लाख रोजगार उपलब्ध करवाने का प्रदेश के युवाओं से वादा किया था। यह रोजगार प्राइवेट और सरकारी दोनों क्षेत्रों में उपलब्ध करवाया जाना था। प्रदेश में सरकार ही सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता है। इसलिये सरकार में कितने पद विभिन्न विभागों में खाली है इसका पता लगाने के लिये एक मंत्री स्तरीय कमेटी बनायी गयी थी। इस कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार में 70,000 पद खाली होने की सूचना आयी थी। सरकार में अराजपत्रित कर्मचारियों की भर्ती करने के लिये अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड गठित था। लेकिन इस बोर्ड पर भ्रष्टाचार और परीक्षाओं में पेपर लीक के आरोप लगने के कारण इसे भंग कर दिया गया। भ्रष्टाचार और पेपर लीक के मामलों पर आपराधिक मामले दर्ज किये। इन मामलों की जांच अभी तक चल रही है। अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड को भंग करने के बाद इसका काम भी प्रदेश लोक सेवा आयोग को सौंप दिया गया था। प्रदेश के रोजगार कार्यालय में पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या नौ लाख से बढ़ गयी है। बेरोजगारी के मामले में प्रदेश देश के पहले 6 राज्यों में शामिल हो गया है। प्रदेश में बेरोजगारी की दर लगातार बढ़ रही है। उद्योगों के प्रदेश से पलायन करके दूसरे प्रदेशों में जाने के समाचार बराबर आ रहे हैं। उद्योगों के पलायन को विपक्ष लगातार मुद्दा बना रहा है। नये उद्योग नहीं के बराबर आ रहे हैं। इस वस्तुस्थिति में युवाओं को रोजगार कैसे मिल पायेगा यह एक बड़ा सवाल बनता जा रहा है।

दूसरी ओर सरकार मंत्रिमंडल की लगभग हर बैठक में किसी न किसी विभाग में भर्तियां करने की अनुशंसा करती आ रही है। पिछले दिनों सरकार के एक ब्यान में प्रदेश में तीस हजार लोगों को नौकरियां देने का दावा किया गया है। लेकिन प्रदेश के बेरोजगार सरकार के इस दावे से सहमत नहीं हैं। उन्होंने सरकार के आंकड़ों को एकदम गलत करार दिया है। बेरोजगार युवाओं ने

शिमला में विधानसभा सत्र के दौरान एक प्रदर्शन में यहां तक कह दिया कि या तो उन्हें नौकरी दे दो या गोली मार दो। युवाओं की यह हताशा एक गंभीर चेतावनी है। आने वाले दिनों में युवाओं के आक्रोश और रोष का तंत्र को सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में यह जांचना आवश्यक हो जाता है कि क्या सरकार के दावे और आंकड़े जमीनी हकीकत बन पाये हैं या नहीं। इसके लिये विधानसभा सत्र में सदन में विधायकों द्वारा इस संदर्भ में पूछे गये परोक्ष/अपरोक्ष सवालों पर सरकार द्वारा दिये गये उत्तरों पर नजर डालने से बेहतर और कोई साधन नहीं हो सकता।

सत्र के आखिरी दिन दस

तारीख को कुछ विधायकों द्वारा पूछे गये प्रश्न और उनके उत्तर पाठकों के सामने रखना आवश्यक हो जाता है। विधायक भुवनेश्वर गौड़ का तारांकित प्रश्न था गत तीन वर्षों में दिनांक 15-01-24 तक विभिन्न विभागों/निगमों/बोर्डों में कितने मल्टी पर्पज (एमपीडब्ल्यू) सरकार द्वारा किस-किस नीति के तहत नियुक्त किये गये ब्योरा विभाग वार दें। इसका जवाब आया सूचना एकत्रित की जा रही है। दूसरा प्रश्न भी भुवनेश्वर गौड़ का ही था गत तीन वर्षों में विभिन्न विभागों/बोर्डों/निगमों में किस-किस कंपनी को आउटसोर्स भर्ती हेतु नियुक्ता/कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है और कितने कर्मचारी आउटसोर्स

पर इन कंपनियों द्वारा रखे गये तथा इन भर्तियों हेतु क्या-क्या मापदण्ड रखे गये ब्योरा विभागवार/पदवार दें। इसका जवाब भी सूचना एकत्रित की जा रही है ही आया है।

इसी दिन विधायक दीप राज और जीतराम कटवाल का संयुक्त प्रश्न था गत डेढ़ वर्ष में दिनांक 31-7-24 तक सरकार द्वारा सरकारी तथा निजी स्तर पर कितने लोगों को रोजगार प्रदान किया गया तथा प्रदेश में बेरोजगारी दर क्या है? इसी दिन विधायक केवल सिंह पठानिया का अंतारकित प्रश्न था प्रदेश में वर्तमान में समस्त श्रेणियां में कुल कितने पद रिक्त हैं, इनमें से कितने पद काफी समय से बैकलॉग में चल रहे हैं

और सरकार द्वारा गत वर्ष में 15-1-24 तक कितने लोगों को रोजगार प्रदान किया गया ब्योरा विभागवार तथा पदवार दें- इसका जवाब भी सूचना एकत्रित की जा रही है -ही आया है। यह कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न ही पाठकों के सामने रखे गये हैं इस संदर्भ में पूछे गये सभी प्रश्नों का उत्तर इसी तरह टाल दिया गया है। सरकार को सत्ता में आये दो वर्ष होने जा रहे हैं। बेरोजगारी एक गंभीर समस्या होती जा रही है बेरोजगारी पर तो सरकार से ठोस जवाब चाहिये। यदि अब भी सरकार इस पर कुछ भी ठोस बताने को तैयार नहीं है तो सरकार को लेकर क्या आकलन बनता है इसका अन्दाजा लगाया जा सकता है।

रोजगार मांग रहे युवाओं को विवाह करने की सलाह देना निंदनीय: जयराम ठाकुर

शिमला/शैल। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने शिमला से जारी बयान में कहा कि चुनाव के समय हर चीज़ फ्री-फ्री-फ्री की घोषणा करने वाले पहले से मिल रही सुविधाएँ छीनते चले जा रहे हैं। बिजली पर मिलने वाली 125 यूनिट की सब्सिडी बंद करने और 300 यूनिट से अधिक बिजली खर्च करने पर ज्यादा बिल वसूलने के फैसले के बाद अब सरकार ने प्रदेश की जनता को निःशुल्क मिल रहे हैं पेयजल की योजना भी खत्म कर दिया है। इसके साथ ही शहरों में मिलने वाले पानी के कीमतों में भारी वृद्धि की है। जिसका असर प्रदेश वासियों के जेबों पर पड़ना तय है।

जयराम ठाकुर ने कहा कि सबसे हास्यास्पद ये है कि हिमाचल में उसी कांग्रेस पार्टी की सरकार है, जिसमें चुनाव के दौरान बड़े-बड़े वादे किए थे। सब कुछ फ्री में देने का आश्वासन दिया था आज फिर कांग्रेस देश के अन्य भागों में हो रहे विधानसभा चुनाव में झूठे वादे कर रही है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के नेता सरकारी नौकरियों की भरमार, रोजगार की

भरमार लगाने समेत बिजली, पानी जैसी सुविधाओं को लेकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। इसके अलावा महिलाओं, किसानों, बुजुर्गों, बीमार लोगों के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं लाने की बातें कर रहे हैं। उसी कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में हर दिन इन सभी वर्गों के खिलाफ कोई ना कोई साजिश कर रही है। पूर्व सरकार द्वारा उन्हें मिली सुविधाओं को छीन रही है। योजनाओं को बंद कर रही है या उनका बजट रोका जा रहा है। इसके साथ ही पहले से चल रहे विकास कार्यों को अटकाने भटकाने और लटकाने का काम किया जा रहा है। कांग्रेसनीत सुखू सरकार में 500 से ज्यादा स्कूलों को बंद कर दिया गया है।

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि बेरोजगार युवकों द्वारा मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान जब महिलाओं द्वारा ओवर-ऐज होने का हवाला देते हुए जल्दी से जल्दी नौकरियां निकालने की मांग की गई तो उन्होंने कथित रूप से युवाओं को विवाह करने की सलाह देते हुए कहा गया कि नौकरी अपने हिसाब से आराम-आराम से

ही आएगी। आप लोगो के हिसाब से नहीं। आप लोग अपना विवाह कर लीजिये। मुख्यमंत्री का यह ब्यान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और बचकाना है। क्या मुख्यमंत्री यह भूल गए हैं कि उनकी पार्टी के हर छोटे बड़े नेता चौक चौराहों से चिल्ला-चिल्लाकर हर साल 1 लाख नौकरियां देने की घोषणा नहीं कर रहे थे? क्या उनके नेताओं ने प्रदेश के युवाओं से 5 साल में 5 लाख नौकरियों का वादा नहीं किया था? जब नौकरियों का वादा करके कांग्रेस ने वोट मांगे थे तो युवाओं का हक है कि वह सरकार से नौकरी मांगे और सरकार की जिम्मेदारी है कि उन्हें नौकरियां दे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को इस तरह के रवैये से बाज आना चाहिए, इसके पहले भी उन पर दिव्यांगों द्वारा गैरजिम्मेदाराना ब्यान देने के आरोप लगाए जा चुके हैं।

जयराम ठाकुर ने कहा कि आज प्रदेश का हर वर्ग सरकार के खिलाफ सड़कों पर है। बीते रोज़ सरकार के खिलाफ विभिन्न संगठनों ने प्रदेश भर में प्रदर्शन किया। लगभग डेढ़ साल में ही प्रदेश के सभी वर्ग द्वारा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने

के पीछे की वजह है कि सत्ता में आने के बाद डीज़ल के दाम बढ़ा दिए, सीमेंट के दाम बढ़ा दिए, डिपुओं में मिलने वाले राशन के दाम बढ़ा दिये। जब मन में आया कर्मचारियों का डीए रोक दिया। वेतन को विलंबित करने का फॉर्मूला भी सरकार की इसी ना समझी और दूरदर्शिता रहित सोच का परिणाम है।

जयराम ठाकुर ने कहा कि आज प्रदेश के खिलाफ समाज का कोई एक वर्ग अथवा संगठन ही नहीं हैं बल्कि सभी वर्गों के लोग सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, सड़कों पर आ रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं इसके बाद भी सरकार लोगों की भावनाओं को समझ नहीं पा रही है। लोगों की अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पा रही है। मुख्यमंत्री समेत पूरी सरकार के लिए यह आत्मचिंतन का समय है कि मात्र 21 महीने के कार्यकाल में ही ऐसी स्थितियां क्यों आ गई। सरकार को एक स्वीकार करना होगा कि वह पूरी तरह के फ़ेल है। चुनाव के समय प्रदेश के लोगों से किया गया एक भी वादा वह निभा नहीं पायी है।